न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 58/22

GCMS NO 2022/96

1. रामसहाय पुत्र मूलचंद जाति लोधा निवासी जटवाडा खुर्द सवाई माधोपुर
2. प्रहलाद पुत्र मूलचंद जाति लोधा निवासी जटवाडा खुर्द सवाई माधोपुर

अपीलांट

वनाम

1. शंकर पुत्र तुलसीराम जाति लोधा निवासी जटवाडा खुर्द सवाई माधोपुर
2. गुलाब पुत्री तुलसीराम पत्नि किशनलाल अध्यापक निवासी मिर्जापुर लोधा मोहल्ला तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्व मु0नं0 820/81 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.82 व 16.12.82 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री संदीप शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री कमलेश कुमार जैन

दिनांक 18.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.82 व 16.12.82 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 के पिता तुलसीराम पुत्र हाबुडा ने दावा बाबत किये जाने भूमि का विभाजन इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी न0 1 आपस मे सगे भाई है तथा सम्मिलित रूप से काश्तकारी खसरा न0 1003 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, ख0न0 296 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, 364 रकबा 6 बीघा 1 विस्वा पर काश्त करते चले आ रहे है और सरकारी लगान पिता हाबुडा के नाम से जमा होता आ रहा है। पिताजी की मृत्यु के पश्चात नामा0 खुल चुका है। भूमि सम्मिलित खातेदारी की होने की बजह से वादी का यह संदेश है कि कभी भी जाकर दोनो भाईयो मे जमीन की काश्त करने मे झगडा हो सकता है। यही बजह है कि प्रार्थी उक्त ख0न0 को आधा आधा हिस्सा मुताबिक बंटवारा कराना चाहता है। बंटवारे को कराने पर प्रतिवादी संख्या 1 तो सहमत है परन्तु उसके पुत्रो द्वारा मनाही कर दी गई। उक्त जमीन के अलावा खसरा न0 304 रकबा 3 विस्वा जमीन भी दोनो भाईयो के कब्जे की जमीन है। इस प्रकार उक्त भूमि कुल रकबा [illegible] 14 विस्वा का आपसी सहमति से हो रहे बाहमी बंटवारा अनुसार रजामंदी से आराजीयात का [illegible] किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही [illegible] अधिनस्थ न्यायालय [illegible] वादी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी के पुत्रान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण लायके निरस्त है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व उपलब्ध दस्तावेजो का भली प्रकार से अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रतिवादी मूलचंद की कभी भी उक्त वाद मे तामिल ही नही है। ना ही अभी किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया गया है समस्त कार्यवाही फर्जी एवं मिथ्या तरीके से मूलचंद की अगूठा निशानी लगाकर की गई है। अपीलांट के पिता मूलचंद के पास कभी किसी न्यायालय का नोटिस आया ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार की अगूठा निशानी की गई ना ही कभी न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब दावा पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस पर तामिल कुनिन्दा से साज कर एवं मिथ्या तरीके से दीगर तरीका अगूठा निशानी लगाकर उसकेउपर स्पर्श हाथ से मूलचंद के साइन लिखकर झूठी मिथ्या से तामिल कराई गई जिसमे कोई सच्चाई नही है। क्योकि नोटिस पर तो अगूठा निशानी है तथ लिखा हुआ मूलचंद का साईन आधारित हस्ताक्षर है। रेस्पो0 सख्या 1 वादी द्वारा दावा न्यायालय मे साजकर गलत एवं मिथ्या प्रकार से फर्जी जबाब दावा पेश कर उक्त डिक्री कराई है जबकि जबाब दावा पर मूलचंद ना तो मूलचंद के वकील के हस्ताक्षर है ना ही किसी व्यक्ति से मूलचंद की पहचान कराई गई। उक्त जबाब दावा पर कही भी मूलचंद की अगूठा निशानी नही है । समस्त कार्यवाही झूठी एवं मिथ्या एवं धोखाधडी पूर्ण है। इसी प्रकार वादी रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो से साजकर रिपोर्ट भी गलत एंव मिथ्या एवं फर्जी अगूठा निशानी कराकर सहमति दर्ज की गई है। जिसमे कोई सच्चाई नही है। बिना मूलचंद से किसी प्रकार मे सुनवाई का योग दिये बिना तामिल मे आपस मे साजबाज कर दिया गया एवं फर्जी तरीके से कराई तामिल के आधार पर तथा फर्जी एवं मिथ्या जबाब दावे मे आधार पर की गई उक्त डिक्री एवं निर्णय लायके निरस्त योग्य है। अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री का पता नही था ना ही अपनी मृत्यु से पूर्व अपीलांट के पिता ने उक्त निर्णय व डिक्री के बारे मे कुछ बताकर नही गये वास्तविकता मे अपीलांट के पिता मूलचंद पर तामिल नही होने के कारण उन्हे उक्त निर्णय एवं डिक्री का इल्म होता तो अपीलांट का पुत्र होने के नाते जरूर बताते। दिनांक 18.7.22 को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल ली तथा रिकार्ड रूप से नकल लेने पर अपीलांट को इस तथ्य इल्म हुआ कि रेस्पो0 ने अधिनस्थ न्यायालय मे साजबाज कर गलत एवं मिथ्या तामिल करा झूठा असत्य जबाब दावा पेश कर डिक्री करा ली है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फ़रमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपस मे सहमति से हो रहे बाहमी बंटवारे के आधार पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे थे। आपस मे भाईयो के मध्य भूमि को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे आपसी सहमति से बंटवारे के बाबत वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि उनके पिताजी की तामिल नही हुई है जबकि सत्यता यह है कि अपीलांट के पिता मूलचंद द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे स्वयं उपस्थित होकर जबाब दावा पेश किया गया है। इससे अपीलांट का उक्त कथन अपने आप मे झूठा साबित है। अपीलांट के पिता मूलचंद द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे मे उन्होने दावे के मद न0 1 5 को स्वीकार मानते हुए विशेष विवरण मे स्पष्ट अंकन किया है कि वाद पत्र डिक्री फरमा दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद पत्र दिनांक 21.7.82 को प्राथमिक डिक्री किया गया तथा प्रारंभिक डिक्री के आदेश की पालना मे वादी द्वारा देय स्टाम्प जमा कराने पर तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्रारभिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर बंटवारा स्कीम अनुसार विधि सम्मत रूप से वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया था। जिसकी जानकारी अपीलांट के पिता मूलचंद को उसी समय हो गई थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 33 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे अपीलाट ने बिलम्व के संबंध मे किसी प्रकार का कोई ठोस कारण का उल्लेख प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पो0 के पिताओ की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसको दोनो भाईयो द्वारा आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। भाईयो मे आपस मे भूमि को लेकर किसी प्रकार का विवाद भविष्य मे उत्पन्न नही हो इसके कारण ही वादी द्वारा अपने अपने कब्जे एवं हिस्से अनुसार भूमि का बंटवारा कराने हेतु वाद पेश किया गया था। जिसमे प्रतिवादीगण/अपीलांट के पिता द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमति प्रकट की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर ही तहसीलदार से विवादित आराजीयात की कब्जे एवं हिस्से अनुसार बंटवारा स्कीम तलब की जाकर दावा एवं जबाब दावा तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को अपीलांट के पिता नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दी गई ना ही उनको इसका समय पर इल्म हुआ। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे वादी द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रतिवादी/अपीलांट के पिता को बंटवारे से इंकार नही है परन्तु उनके पुत्र बंटवारा कराने पर सहमत नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को शुरू से ही थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के लगभग 33 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जिसमे हुए डिले को कण्डोन कराने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई ठोस एवं विधिक कारण का उल्लेख उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के मु0नं0 820/81 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.82 व 16.12.82 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.6.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:12 IST
Reason: SelfAttested